प्रेषक,

श्रुति सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2022

विषय: सोसाइटी ऑफ मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशनल एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लाट नं. 41, नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर में एम0एससी0–नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में सीट वृद्धि हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4989/22 दिनांक 25.05.22 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त सोसाइटी ऑफ मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशनल एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लाट नं. 41, नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर में एम0एससी0–नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में 15 सीट से बढ़ाकर 24 सीट (09 सीट वृद्धि) प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(1) संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जायेगी।

(2) इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।

(3) संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा शासनादेश संख्या:4447/71–3–05–141/05 दिनांक 14.10.2005 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 15.01.2007 तथा 23.01.2008 में निहित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा एक नीति बनाकर मानकों के अनुपालन हेतु संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा–निर्देशों/मानकों का उल्लंघन करने पर संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2– शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार अनिवार्यता/अनापत्ति यह अवधारित करते हुए निर्गत की जा रही है कि इस हेतु प्रश्नगत संस्था के संबंध में जो तथ्य एवं आंकडे सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, वह सही हैं तथापि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही से पूर्व सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा स्वस्तर से भी इनकी पुष्टि कर ली जायेगी। इस संबंध में किसी भी विसंगति का संपूर्ण उत्तरदायित्व सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ का होगा।

3– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(श्रुति सिंह)
सचिव

संख्या एवं तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्धक, सोसाइटी ऑफ मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशनल एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लाट नं. 41, नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

ed by श्रुति सिंह
: 26-07-2022 16:29:36
son: Approved